

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या..... 1869 ( 11 ) / 2014-15

आवेदन की तिथि 4/4/15  
अधिसूचना तिथि 6/4/15  
निर्गत तिथि 7/4/15

## आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्त
7/3/15	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती..... <u>वासुदेव नन्दन पंडित</u>.....  पिता/पति..... <u>श्री. शिवराम पंडित</u>..... साकिम..... <u>श्री. शिवराम पंडित</u>.....  थाना..... <u>श्री. शिवराम पंडित</u>..... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।  आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा..... <u>श्री. शिवराम पंडित</u>.....  मौजा नं०..... <u>11</u>..... खाता नं०..... <u>37, 15</u> प्लॉट नं०..... <u>618, 625</u>  ..... रकबा..... <u>6.47 डिसेमिटर</u>  दलील सं०..... <u>1584</u>..... दिनांक..... <u>02/03/15</u>..... के  द्वारा श्री/श्रीमती..... <u>श्री. शिवराम पंडित</u>..... से  प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक..... <u>11/3/15</u>..... को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमाबदी सं०..... <u>1492, 135</u>..... में विक्रेता को/विक्रेता के..... <u>श्री. शिवराम पंडित</u>..... के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद..... कर्मचारी निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की राशि को कोषामार में जमा कर दलील को वैध कर लिखा गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को..... <u>श्री. शिवराम पंडित</u>..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित्र एवं संशोधित</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p> <p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

द्वारा फोटोकॉपी किया गया।  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।

तेलिपिक टंकक

Basudeo Nandan Pandey





आवेदन की तिथि 4/12/15  
 अधिसूचना तिथि 4/12/15  
 निर्गत तिथि 4/12/15

र में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण, (नाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि पत्र

जिला- धनबाद, अनुमण्डल-धनबाद अंचल-धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम- झारखण्ड

1	क्रम संख्या								
2	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	दा० खा० 1868 (II) 14-15							
3	गाँव	सोवना							
4	थाना और थाना संख्या	धनबाद 11							
5	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	खाता- 37, 15 प्लॉट- 618, 625 रकबा- 6.47 डिसेमिन लगान- 4.00 रु०/							
6	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	अंचल अधिकारी धनबाद							
7	नामान्तरण किस कारण से होना है बिक्री, वन विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	बिक्री/प्रत्तसम्भिकरी दलील संख्या 1584 02/03/15							
8	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	पुराना जमा०:- 1492, 135 पुराना रैयत:- दारा जीप, जलम कोएल मकान नया रैयत:- वासुदेव नन्दन पंडित बिला हर मागवन पंडित सा- कोमला नगर, झारखण्ड धनबाद							
9	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?								
10	अभ्युक्ति								

ज्ञापक संख्या 1847 ता० 20/12/15 2014  
 कर्मचारी हल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया  
 प्रतिलिपिक टंकक

Basudeo Nandan Pandey

अधिकारी धनबाद





आवेदन की तिथि 26/6/15  
 अधिसूचना तिथि- 27/6/15  
 निर्गत तिथि- 29/6/15

**अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद**

दाखिल खारिज मु० संख्या 530 ( ii ) / 2015-16

**आदेश फलक**


दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
5/6/15	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>वासुदेव नंदन पंडित</u>            पिता/पति <u>खाना भागवत पंडित</u> साकिम <u>ओद्योगनगर</u>            थाना <u>धनबाद</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।            आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा <u>खानपुर</u>            मौजा नं० <u>1.1</u> खाता नं० <u>1.5, 4</u> प्लॉट नं० <u>6.19, 6.25</u>            रकबा <u>4.24</u> ई०            दलील सं० <u>3985</u> दिनांक <u>21.05.15</u> के            द्वारा श्री/श्रीमती <u>शमशाहीब प्रसाद वर्मा</u> से            प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>15/6/15</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p>
15/6/15	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमाबदी सं० <u>1539</u> में विक्रेता के/विक्रेता के <u>मीज</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निर्बाधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद/कस्तकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तस्-मुद्रांक की रशि को कोषागार में जमा कर चलीन को वैध कर लिखा गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>स्वीकृत</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।            लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।  
 मल्लिकार्जुन / टंकक

मनीष कुमार  
 29/6/15  
 धनबाद

Basudeo Nandan Pandit





आवेदन की तिथि 26/11/15  
 अधिसूचना तिथि- 27/11/15  
 निर्गत तिथि- 29/11/15

नट भू भूखिज हुस्टर्टों के अधिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-झारिज) दिखानेवाला शुद्धि पत्र

महान सहायक  
 अंचल कार्यालय  
 धनबाद

जिला- धनबाद, अनुमण्डल- धनबाद अंचल- धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम- झारखण्ड

शापाक संख्या 485 ता० 19/11/2015

कर्मचारी हल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

1	क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण के संख्या	2	दा० खा० 550 (II) 15-16
3	गाँव	सावजपुर	4	धाना और धाना संख्या 11
5	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	खाता- 15.4 प्लॉट- 619, 625 रकबा- 4.24 बी० लगान- 4.25 रु०	6	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और शर्तों की तारीख
7	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, वान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	अंचल अधिकारी धनबाद	8	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा
9	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	बिक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 3985 / 21.05.15	10	अभ्युक्ति
8	पुराना जमा०:- शमाब्रवीष प्रसाद वर्मा (1539) पुराना रैयत:- 1539 नया रैयत:- श्री वासुदेव मंदन पंडित पिता- स्व० भागवत पंडित सा०- कौयला नगर	जमा सं० _____ में दर्ज किया		

अंचल अधिकारी धनबाद

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।  
 प्रतिलिपिक / वंकक